राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

विभिन्न योजनाओं में एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश

एसआरजी व जनाना चिकित्सालय में शौचालय की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी

झालावाड़ 10 फरवरी/ आवश्यक सेवाओं से संबंधित बैठक में सोमवार को जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री ग्राम योजना, सांसद ग्राम योजना व श्रीयोजना के तहत 13 फरवरी तक एक्शन प्लान तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें और इन योजनाओं की ग्राम पंचायतों को प्रोजेक्ट उत्कर्ष से भी जोडने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

जिला कलक्टर ने बताया कि एसआरजी व जनाना चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के परिजनों हेतु शौचालय की व्यवस्था निःशुल्क कर दी गई है। अब यदि कोई व्यक्ति खुले में शौच करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि खुले स्थान पर शौच करने वालों की निगरानी के लिए सुरक्षा कार्ड भी तैनात किये गये है।

उन्होंने भामाशाह नांमाकन शिविरों को नियमित रखने के निर्देश देते हुए मुख्य आयोजना अधिकारी से कहा कि जिन स्थानों पर आधार नांमाकन के लिए अधिक संख्या में लोग आते हो वहां एक आधार का भी शिविर रखें। उन्होंने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से कहा कि जहां–जहां आरयूआईडीपी की नई पाईप लाइन डाली जा चुकी है वहां नई पाइप लाईन से निःशुल्क कनेक्शन दिये जावें और पुरानी लाईन को एक सप्ताह में बन्द कर दी जावे। उन्होंने कहा कि रोड कटिंग की मरम्मत का कार्य एक सप्ताह से ज्यादा समय तक पेंडिग नहीं रहे। जिला कलक्टर ने नगरपरिषद व नगरपालिकाओं की खाली पड़ी सरकारी भूमि पर तार फेंसिंग के कराने के निर्देश दिये ताकि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो सके।

जिला स्तरीय जनसुनवाई 12 फरवरी को अटल सेवा केन्द्र में

झालावाड़ 10 फरवरी/ राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 फरवरी को प्रातः 10 बजे जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अटल सेवा केन्द्र मिनी सचिवालय झालावाड़ में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी जुगल किशोर मीणा ने बताया कि प्रातः 10 से 12 बजे तक जनसुनवाई की जाएगी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा एवं निस्तारण किया जायेगा तथा इसी बीच जनसुनवाई के अवशेष प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी।

प्राधिकार पत्र बहाल

झालावाड़ 10 फरवरी/ जिला रसद अधिकारी ने एक आदेश जारी कर बताया कि उचित मूल्य दुकानदार मोहन लाल/मोतीलाल लोघा ग्राम पंचायत डग–1 का निलम्बित प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से बहाल कर दिया गया है।